2019/00365

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 349/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा चौडा रास्ता, जयपुर ।

प्रार्थी

1. ममता देवी बैरवा पत्नी श्री रामनिवास बैरवा
   23, पावर्तती कालोनी मांगयावास मानसरोवर जयपुर
   22–ए, गणपती एनक्लेव मांग्यावास मानसरोवर जयपुर
   430, रघुनाथ पुरा ग्राम पोस्ट पारली तहसील मालपुरा जिला टौक

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

उपस्थितः–श्री विनोद कुमार चौहान अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 21-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 20.09.2015, 18.01.2016, 23.02.2017 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती ममता देवी बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ 22–ए, मणपति एन्क्लेव मांग्यावास मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 45.00 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 18,21,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित हुआ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

3.
4. उभय पक्ष को को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. अप्रार्थी ने उपस्थित हो बकाया ऋण भुगतान करने हेतु अवसर चाहा है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अवसर दिये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को नही है। प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.07.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। प्रार्थी बैंक द्वारा

ऋणी के धारा 13 (2) के नोटिस की प्राप्ति की पुष्टि में प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्रीमती ममता देवी बैरवा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं. 22–ए, मणपति एन्क्लेव मांग्यावास मानसरोवर जयपुर क्षेत्रफल 45.00 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

7. आदेश आज दिनांक 21-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर